न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार माण्डल

निर्णय

प्रकरण संख्या 130/18 दिनांक: 24-12-18

अनवान

सरकार बजरिये पटवारी कबराड़िया बनाम श्री मोतीबाई देवी

हल्का

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कबराड़िया ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री मोतीबाई देवी पत्नि श्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कबराड़िया ने ग्राम कबराड़िया में स्थित आराजी नम्बर 1155 रकबा 4-00 है, पर दौराने सम्वत् 2075 खरीफ/रबी में अनाधिकृत रूप से फसल तिल काश्त/कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) LR ACT में जारी किया। जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी उपस्थित जिसने हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वीकार किया/अनुपस्थित जिससे अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही में अमल में लाई जाती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अतिक्रमी स्थल का अतिक्रमी के नाम नियमन होना नहीं पाया जाता है एवं उक्त आराजी से अतिक्रमी को ग्राम कबराड़िया स्थित चारागाह/बिलानाम आराजी नम्बर 1155 रकबा 4-00 है, से तुरन्त बेदखल किया जाता है, फसल तहवील सरकार ली जाकर निलाम करने एवं शास्ती लगानी 1.80 की 50 गुणा से 90 रूपये अधिरोपित कर वसूल करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ पटवारी हल्का एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

तहसीलदार माण्डल
तहसीलदार-माण्डल
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner